न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2025/260 **दायरा दिनांक : 09.12.2025**

उनवान

1. मांगीलाल पुत्र गोपाल, जाति काछी, निवासी छीपाबडोद, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां राजस्थान
2. सन्जू देवी पत्नी श्री रामप्रसाद जी नागर, जाति धाकड, निवासी छीपाबडोद, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां राजस्थान .... अपीलांट

बनाम

1. मनमोहन पुत्र श्री कन्हैयालाल, जाति कुशवाह, निवासी छीपाबडोद, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां राजस्थान
2. स्वर्गीय जगन्नाथ आत्मज चतरू, जाति काछी, निवासी छीपाबडोद, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां राजस्थान मृतक जरिये कायम मुकामान :–
   2/1. रूपचन्द आत्मज स्वर्गीय जगन्नाथ
   2/2. पुष्कर आत्मज स्वर्गीय जगन्नाथ
   2/3. स्वर्गीय पुरूषोत्तम आत्मज स्वर्गीय जगन्नाथ (लाऔलाद फौत)
   2/4. इन्द्रा बाई पुत्री स्वर्गीय जगन्नाथ
   2/5. नन्दू बाई पुत्री स्वर्गीय जगन्नाथ
   2/6. पांची बाई बेवा स्वर्गीय जगन्नाथ
   निवासीगण छीपाबडोद, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां राजस्थान
3. मृतक जमनालाल आत्मज चतरू, जाति काछी, निवासी छीपाबडोद, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां राजस्थान मृतक जरिये कायम मुकामान :–
   3/1. रामकल्याण पुत्र स्वर्गीय श्री जमनालाल जी
   3/2. मृतक त्रिलोक पुत्र स्वर्गीय श्री जमनालाल जी जरिये कायम मुकामान :–
   3/2/1. गायत्री पुत्री स्वर्गीय त्रिलोक
   3/2/2. हरिओम बाई पत्नी स्वर्गीय त्रिलोक
   3/2. नारायणी बाई बेवा जमनालाल जी
   जाति काछीयान, निवासीगण छीपाबडोद, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां राजस्थान
4. केदार पुत्र चतरू, जाति काछी, निवासी छीपाबडोद, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां राजस्थान
5. जगदीश आत्मज मन्ना, जाति काछी, निवासी छीपाबडोद, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां राजस्थान
6. पुष्पा पुत्री गोपाल, जाति काछी
7. संतोष पुत्री गोपाल, जाति काछी
8. सोना पुत्री गोपाल, जाति काछी
   निवासीगण छीपाबडोद, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां राजस्थान
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबडोद, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां राजस्थान .... रेस्पोडेंट

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री अनुराग गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री आशीष भारद्वाज अभिभाषक रेस्पोडेंट कम 1 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित

निर्णय **दिनांक : 01.04.2026**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडोद के प्रकरण संख्या – A 38/20 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.07.2025 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट नं. 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि आराजी खसरा नं 339 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा मौजा छीपाबडोद, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां राजस्थान में वाके है, जो मुताबिक जमाबंदी सं. 181 संवत 2073 ता 2076 से वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 8 के शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है जिसमें मुताबिक जमाबंदी वादी का 1/6 हिस्सा दर्ज जमाबंदी एवं कब्जे काश्त में चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडोद ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.07.2025 से वादी का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री जैर अपील कानून, न्याय व तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पो० क्रम–1 द्वारा विभाजन आराजीयात एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु एक वाद अन्तर्गत धारा–53, 188 आर.टी. एक्ट प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित कर तहसीलदार छीपाबडौद को आदेशित किया कि मौजा छीपाबडौद, तहसील छीपाबडौद, जिला बांरा के शामलाती खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 339 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा में से वादी का हिस्सा 1/6 का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य अच्छे में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी आराजीयात का विभाजन किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के राजस्व मण्डल के नियम–18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आशय का निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट क्रम–2 लगायत–8 को साधारण सम्मन से तलब करने हेतु नोटिस जारी करने चाहिए थे, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट एवं

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रेस्पोडेन्ट क्रम–2 लगायत 8 को साधारण सम्मन जारी किये बिना ही तथा उन्हें साधारण सम्मन नोटिस भेजे बिना ही रजिस्टर्ड ए०डी० के माध्यम से तलब किये जाने हेतु तलवाने पेश करने बाबत वादी रेस्पो० क्रम–1 को आदेशित किया था। यहां यह उल्लेखनीय है कि सर्वप्रथम साधारण सम्मन से पक्षकारान की तलबी हेतु नोटिस जारी किये जाने का कानूनी प्रावधान है, परन्तु यदि साधारण सम्मन के माध्यम से तामील नहीं हो पाती है, तो ऐसी स्थिति में वैकल्पिक तामील हेतु रजिस्टर्ड ए०डी० के माध्यम से तलबी हेतु नोटिस जारी किये जाने चाहिए थे, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान को साधारण सम्मन प्रेषित नहीं कर सीधा ही तलबी हेतु रजिस्ट्री ए०डी० नोटिस जारी कर अपीलाण्ट को सम्मन की गलत रूप से तामील होना मानकर उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाकर एक तरफा रूप से निर्णय व डिक्री जैर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अपीलाण्ट को न तो न्यायालय द्वारा जारी कोई सम्मन प्राप्त हुआ था, न ही कोई रजिस्टर्ड ए०डी० लिफाफा प्राप्त हुआ है, इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने रजिस्टर्ड ए०डी० के माध्यम से अपीलाण्ट पर अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद की तामील होना मानकर सर्वथा अवैध एवं गैरकानूनी रूप से मनमाने तौर पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर एक तरफा निर्णय व डिक्री जैर अपील प्रदान करने में गंभीर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को तलब किये बिना ही गलत रूप से अपीलाण्ट पर तामील होना मानकर उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय व डिक्री जैर अपील प्रदान की गयी है, उक्त निर्णय व डिक्री जैर अपील प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। पक्षकारान एक ही गांव के निवासी है। वादी रेस्पो० क्रम–1 को प्रतिवादी क्रम–1 जगन्नाथ एवं प्रतिवादी क्रम–2 जमनालाल (मृतक रेस्पोडेन्ट क्रम–2 व 3) की मृत्यु होने की पूर्ण जानकारी थी, इसके उपरान्त भी वादी रेस्पो० क्रम–1 द्वारा जानबूझ कर मृतक जगन्नाथ एवं जमनालाल के कायम मुकामान के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई कार्यवाही या आवेदन नहीं किया तथा उनके वारिसान को वाद में पक्षकार नहीं बनाया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित की गयी है। कानूनन मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, इस कानूनी बिन्दु पर गोर किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री जैर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात जगदीश, कन्हैयालाल, गोपाल पिसरान मन्ना जी तथा जगन्नाथ, केदार, जमना पिसरान चतरू की खातेदारी की भूमि थी। कन्हैयालाल आत्मज मन्ना द्वारा उसके खाते एवं कब्जे की उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात का बेचान वादी रेस्पो० क्रम–1 को किया गया था तथा उक्त बेचान के आधार पर वादी रेस्पो० क्रम–1 के पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक किया गया था। गोपाल आत्मज मन्ना का स्वर्गवास हो चुका है। अपीलाण्ट एवं रेस्पो० क्रम–6 लगायत 8 मृतक गोपाल के पुत्र एवं पुत्रियां है। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद के विचाराधीन रहते जगन्नाथ

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

आत्मज चतरू एवं जमना आत्मज चतरू का भी स्वर्गवास हो चुका है, जिनके वारिसान इस अपील में बतौर रेस्पो० क्रम–2 व 3 पक्षकारान है। उपरोक्त वर्णित समस्त सहखातेदारान के मध्य उपरोक्त कृषि आराजीयात बाबत कई वर्षों पूर्व ही आपसी सहमति से मौखिक रूप से विभाजन हो चुका है तथा मौखिक विभाजन के अनुसार जगदीश, कन्हैयालाल पिसरान मन्ना को खसरा नम्बर–339 की उत्तर दिशा इमली के पेड के पास वाली भूमि प्राप्त हुई थी। इसी प्रकार अपीलाण्ट के पिता गोपाल जी को खसरा नम्बर–339 में से पीछे के खेतो में जाने हेतु जो रास्ता बना हुआ है, उससे लगी हुई भूमि मौखिक विभाजन में प्राप्त हुई थी तथा शेष दक्षिण दिशा की भूमि चतरू जी के वारिसान को प्राप्त हुई थी। उपरोक्त लिखेनुसार ही उपरोक्त वर्णित खातेदारान मौखिक विभाजन में प्राप्त भूमि पर काबिज चले आ रहे है तथा समस्त खातेदारान द्वारा मौखिक विभाजन को एक्ट अपोन कर लिया गया था। कन्हैयालाल आत्मज मन्ना जी द्वारा उनके खाते, कब्जे एवं मौखिक विभाजन में प्राप्त भूमि का बेचान रेस्पो० क्रम–1 को किया गया था तथा मौखिक विभाजन में प्राप्त भूमि पर ही रेस्पो० क्रम–1 को कब्जा सुपुर्द किया गया था। रेस्पो० क्रम–1, कन्हैयालाल जी को मौखिक विभाजन में प्राप्त उत्तर दिशा में इमली वाले पेड के पास वाली भूमि पर ही काबिज है। रेस्पो० क्रम–1 ने पक्षकारान के मध्य मौखिक विभाजन होने के तथ्य को छिपाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वास्तविक तथ्य लाये बिना ही निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित कर अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी आराजीयात का विभाजन करने बाबत आदेश प्राप्त कर लिया। अपीलाण्ट की हैसियत केवल मात्र एक अजनबी क्रेता की है। यहां यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात का खातेदारान के मध्य पूर्व में मौखिक रूप से विभाजन हो चुका है तथा पक्षकारान के द्वारा उक्त विभाजन को एक्ट अपोन भी कर लिया गया है। ऐसी स्थिति में पुनः विभाजन किये जाने का कोई प्रावधान नही होने से निर्णय व डिक्री जैर अपील काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री जैर अपील के माध्यम से केवल मात्र वादी का हिस्सा घोषित किया है तथा प्रतिवादीगण के हिस्से घोषित नहीं किये हैं। कानूनन अधीनस्थ न्यायालय को समस्त पक्षकारान के हिस्से घोषित किये जाने चाहिए थे। इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट क्रम–2 अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थी। अपीलाण्ट क्रम–2 ने अपीलाण्ट क्रम–1 से उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात में निहित उसके 1/24 हिस्से की भूमि को पंजीकृत विक्रय–पत्र के माध्यम से दिनांक 27–11–2025 को खरीद किया है तथा अपीलाण्ट क्रम–1 ने अपीलाण्ट क्रम–2 को मौखिक विभाजन में प्राप्त भूमि पर कब्जा सुपुर्द किया है तथा अपीलाण्ट क्रम–2 बाद खरीद से ही पीछे के खेतो में जाने हेतु बने हुए रास्ते से लगी हुई भूमि पर काबिज चली आ रही है। उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात में अपीलाण्ट के हक व अधिकार निहित है, तथा अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से व्यथित पक्षकार है, इस कारण से अपील पेश करने की अनुमति प्रदान किया जाना

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायोचित व न्याय संगत है। अपील पेश करने की अनुमति बाबत धारा–96 सी.पी.सी. का प्रार्थना–पत्र पृथक से पेश है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30–07–2025 को निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जावे कि वह अपीलाण्ट क्रम–2 को पक्षकार बनाकर तथा समस्त पक्षकारान को जवाब आदि प्रस्तुत करने, जिरह करने एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर बाद समाअत बहस विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 05.12.2025 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 व्यवहार प्रकिया संहिता एवं सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 व्यवहार प्रकिया संहिता एवं सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस एवं अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि रेस्पोडेंट क्रम 1 मोहनलाल ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30.07.2025 को निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की। न्यायालय हाजा में मांगीलाल ने अपील पेश की है जो अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी नं. 5 था। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10.11.2022 को दावा दर्ज किया। अधीनस्थ न्यायालय ने साधारण सम्मन से तलबी नहीं करवायी। अधीनस्थ न्यायालय ने रजिस्टर्ड ए. डी. से तामील मानकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धात के विरूद्ध है। प्रतिवादी नं. 1 जगन्नाथ व प्रतिवादी नं. 2 जमनालाल की मृत्यु हो चुकी है तथा विरासत का इंतकाल जून में तस्दीक हो चुका है। अतः मृतक के खिलाफ पारित निर्णय शून्य है। रेस्पोडेंट वादी क्रम 1 केता है, जो स्ट्रेंजर परचेजर है। पक्षकारान के मध्य पूर्व में पारिवारिक विभाजन हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी पक्षकारान का हिस्सा प्रारम्भिक डिक्री में निर्धारित नहीं किया है। मांगीलाल ने वादग्रस्त आराजी दिनांक 27.11.2024 को अपीलांट क्रम 2 को विक्रय की है। केता द्वारा क्रय के बाद नामान्तरकरण की जानकारी करने पर प्रारम्भिक डिक्री की जानकारी हुई, जानकारी की तिथि से अपील अन्दर मियाद है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 07.01.2025 से सरकार की तलबी नहीं की है। सी.पी.सी. की प्रकिया का पालन भी नहीं किया। आदेश 41, नियम 27 सी.पी.सी. के साथ शपथ पत्र कन्हैयालाल ने

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पेश किया, जिससे रेस्पोडेंट कम 1 ने वादग्रस्त आराजी क्रय की है। अधीनस्थ न्यायालय ने हमें जवाब व साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्राथमिक डिक्री निरस्त की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.टी. 2017(2) पेज 1047 व आर.एल.डब्ल्यू. 2002 पेज 100 की नजीरे उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट कम 1 ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है वे सब एक ही परिवार के सदस्य हैं परन्तु अपीलांट के अलावा अन्य कोई अपील में उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में रजिस्टर्ड ए.डी. की रसीदे पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय में शपथ पत्र पेश करने वाला कन्हैयालाल 15 वर्ष पूर्व ही आराजी का बेचान कर चुका है। वादग्रस्त आराजी हमारे कब्जे काश्त में है। मौका रिपोर्ट, बंटवारा प्रस्ताव पर अपीलांट मांगीलाल के हस्ताक्षर हैं अर्थात अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में हुई कार्यवाही के दौरान उपस्थित थे उन्हें सम्पूर्ण जानकारी थी। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु जो तहसीलदार ने नोटिस जारी किया उस पर भी मांगीलाल के हस्ताक्षर है। दिनांक 11.11.2025 को विभाजन प्रस्ताव पर मांगीलाल ने हस्ताक्षर किये एवं दिनांक 27.11.2025 को वादग्रस्त आराजी का बेचान किया। शपथ पत्र में बाहमी विभाजन की बात लिख रहे हैं और विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर भी कर रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि शपथ पत्र झूठा है। अपीलांट को पूर्व से सम्पूर्ण कार्यवाही की जानकारी थी। अपील मियाद बाहर है। अतः अपील खारिज की जावे।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रार्थना पत्र एवं सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः न्यायहित में धारा 96 व्यवहार प्रकिया संहिता एवं सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट कम 1 मनमोहन द्वारा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् दावा पेश कर कथन किया है कि आराजी खसरा नं. 339 रकबा 2.09 बिस्वा मौजा छीपाबडौद, तहसील छीपाबडौद, जिला बारां में मुताबिक जमाबंदी संख्या 181 संवत 2073 से 2076 से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है जिसमें मुताबिक जमाबंदी वादी का 1/6 हिस्सा कब्जे काश्त में चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 वादी से काश्त व लगान के संबंध में लडाई झगड़ा करते हैं। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण के वाद पत्र में वर्णित आराजी का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के मध्य इस कदर खाता विभाजन किया जाये कि वादी को अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी आराजियात में हिस्सा 1/6 प्राप्त हो जाये तथा वादी के हिस्से की आराजी अलग से वादी के खातेदारी में दर्ज की जाकर वादी के नाम पृथक से जमाबंदी मुर्तिब की जाकर वादी को उसके हिस्से की आराजी सुपुर्द किये जाने का आदेश फरमाने की कृपा करें तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद फरमाया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी में वादी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा पैदा न करें, आराजी का कही रहन, दान, बेचान कर अंतरित नहीं करें तथा अंतरण से संबंधित दस्तावेज का पंजीयन नहीं करवाये तथा बिना किस्म परिवर्तित करवाये आराजियात पर निर्माण नहीं करें।

उक्त दावे में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडौद द्वारा अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.07.2025 से वादी का वाद स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी में वादी का हिस्सा 1/6 का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी आराजियात का विभाजन किया जाकर राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा तैयार किये जाने का निर्णय पारित किया गया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट प्रतिवादी क्रम 5 के साथ संजू देवी पत्नी रामप्रसाद द्वारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय हाजा में यह अपील पेश की है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय में सम्मन की तामील के सन्दर्भ में आर्डर 5 सी.पी.सी. के विधिक प्रावधानों की पालना का अभाव रहा है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आदेश 5 के प्रत्येक प्रावधान की अनुपालना कर ली गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन की तामील साधारण डाक से करवाये बिना सीधे ही रजिस्टर्ड ए.डी. से सम्मन तामील हेतु वादी को आदेशित किया गया। अपीलांट का कथन है कि उसे सम्मन की तामील नहीं हुई और ना ही कोई लिफाफा प्राप्त हुआ। साधारण डाक से सम्मन की तामील नहीं करवाने के कारण तामील कुनिन्दा की शपथ का परीक्षण करना भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध सम्मन से सम्भव नहीं है। अपीलांट का एक अन्य कथन यह है कि वादी रेस्पोडेंट क्रम 1 को प्रतिवादी क्रम 1 जगन्नाथ एवं प्रतिवादी क्रम 2 जमनालाल की मृत्यु होने की पूर्ण जानकारी थी, इसके उपरान्त भी वादी रेस्पोडेंट क्रम 1 द्वारा मृतक जगन्नाथ एवं जमनालाल के कायम मुकामान को पक्षकार नहीं बनाया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2073 से 2076

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

के अनुसार जगन्नाथ की मृत्यु उपरान्त उसके वारिसान का नाम जमाबंदी में दर्ज हो चुका है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में जगन्नाथ के वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री से केवल वादी का हिस्सा निर्धारित करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु आदेश पारित किया है जबकि धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विभाजन का दावा प्रस्तुत होने पर न्यायालय को सभी सहखातेदारों के हिस्से का निर्धारण करते हुए प्राथमिक डिक्री पारित करना आवश्यक प्रावधान है।

अपीलांट द्वारा आर्डर 41, नियम 27 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत प्रमाणित नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अनुसार अपीलांट मांगीलाल द्वारा अपने हिस्से की आराजी का बेचान अपीलांट क्रम 2 के पक्ष में दिनांक 27.11.2025 को किया जा चुका है। अतः अपीलांट क्रम 2 द्वारा धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत कर सुनवाई का अवसर प्रदान करने का अनुतोष चाहा है। अपीलांट क्रम 2 द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपीलांट क्रम 1 मांगीलाल के हिस्से की आराजी क्रय की है, अतः अपीलांट क्रम 2 के हित विवादित आराजी में निहित होना प्रस्तुत नकल विक्रय पत्र दिनांक 27.11.2025 से प्रमाणित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अभी अंतिम डिक्री जारी नहीं की गई है। पक्षकारों के मध्य भविष्य में होने वाले विवादों को ध्यान में रखते हुए एवं अपीलांट क्रम 2 के विवादित आराजी में निहित अधिकारों के आधार पर अपीलांट क्रम 2 प्रभावित पक्षकार होने से धारा 96 के प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन तामील में आदेश 5 सी.पी.सी. के विधिक प्रक्रिया की पालना नहीं करने, मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध एकपक्षीय डिक्री पारित करने एवं प्राथमिक डिक्री में सभी सहखातेदान के हिस्सों का निर्धारण नहीं करने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन एकपक्षीय निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री विधि सम्मत नहीं होने के कारण खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.07.2025 खारिज की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.05.2026 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01/04/2026

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा